

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश (आर.ए.एस.)

पकरण संख्या - 74/2024

दायर दिनांक - 02.05.2024

उत्तवान

1. यमू पिता बरदानाथ नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
2. मुकेश पिता बरदानाथ नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
3. रूकमा देवी पति मिथी नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
4. विमला देवी पति संतोक नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
5. सुरेन्द्र पिता संतोक नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
6. नाबालिक कोशल्या पुत्री संतोक संरक्षक माता विमला देवी नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
7. नाबालिक खुशी पुत्री मिथी संरक्षक माता रूकमा देवी नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
8. नाबालिक नरेन्द्र पुत्र संतोक संरक्षक माता विमला देवी नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
9. राजनाथ पिता मिथी संरक्षक माता रूकमा देवी नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।

—(प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामस्वरूप पिता राजूनाथ नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
2. बजरगलाल पिता राजूनाथ नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
3. दुर्गानाथ पिता राजूनाथ नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
4. ओमप्रकाश पिता राजूनाथ नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
5. हरि पिता रामचन्द्र गुर्जर नि. गोपालपुरा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
6. अर्जुन पिता हमीरा गुर्जर नि. गोपालपुरा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
7. रूपा पिता गमीरा गुर्जर नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
8. हरनाथ पिता रामनाथ नाथ नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
9. रामनारायण पिता हाथी गुर्जर नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
10. राधा पति खाना गुर्जर नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
11. ब्रह्मा पति ओमप्रकाश बैरवा कामड नि. चान्दमा तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।
12. गोपाल पिता रामदेव माली नि. फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला भीलवाडा।

—(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थीगण अधिकारता— श्री मदिना बानू

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

आदेश

दिनांक - 20.08.2025

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम चान्दमा पटवार मण्डल रामपुरा भू.अ.नि. फूलियाकला तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 206 के आ.न. 1177, 1177/1537, 1189, 1353, 1355, 1356 कुल किता 06 कुल रकबा 01.5900 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम चान्दमा पटवार मण्डल रामपुरा भू.अ. नि. फूलियाकला तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 206 के आ.न. 1177, 1177/1537, 1189, 1353, 1355, 1356 कुल किता 06 कुल रकबा 01.5900 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक फुलियाकला को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व समी पड़ोसीयान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर रथगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। उक्त पत्थरगढी के दौरान किसी विपक्षी/अन्य खातेदार के कब्जे वाली आराजी में पत्थरगढी हो जाती है तो उक्त आराजी प्रार्थी के स्वागित्व का घोटक नही है। अतः प्रार्थी को इच्छित अनुतोप प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। बैंक हित अप्रभावित रहेमें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)

उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकला जिला भीलवाडा